2.2

(2.2)

संख्या:- 6970 / III(2) / 13-40(प्रा0आ0) / 2013

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 25 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 55.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 536.41 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **536.41** लाख (₹ पाँच करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम 5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 11 कार्य हेतु ₹ 1.10 लाख (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तथा ... शासनादेश सं0:-1764/ III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ... से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

... आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को ... शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार ... अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

... पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न ... यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत ... करते समय किया जायेगा।

... कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग ... दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
... न में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी ... कदापि न किया जाय।

... किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड-प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर ... दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का ... किया जायेगा।

... उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा ... कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

... सार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में ... अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य ... 800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/... हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण ... आयोजनेत्तर-व्ययक में प्राविधानित ... किया जायेगा।

Photocopy attested

लो. नि. वि.

(22)

प्रेषक क्रमांक 1
क्रम संख्या 180
प्राप्ति तिथि 23/01/14

–2–

x)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

i) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो उस कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

ii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान –22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत 00–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 602/XXVII/(2)/2013 दि0: 11 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– (1)/ I I I(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोडा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

Photo copy attested

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

पत्रांक सं० 166/7 लेखा-7/014 दि० 22/1/14

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग/गोपेश्वर को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- [illegible] की प्रति सहित।

प्रतिलिपि :- [illegible] अभियन्ता [illegible] कार्यालय की सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि :- [illegible] हेतु प्रेषित

अधीक्षण अभियन्ता

शासनादेश संख्या:– 6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में पाण्डुवाखाल गोगना हिरूली बाजार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	28.86 (₹17.55 + ₹11.31 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड–गैरसैंण में मालकोट–कालीमाटी–सेरा–तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00 + 30.00 mt	31.38 (₹20.07 + ₹11.31 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड–कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि0मी0 3 से चटिंग्याला–कोटी–नौली–हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि0मी0 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	93.60 (₹58.50 + ₹35.10 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड–कर्णप्रयाग में काण्डई पुल से खडगोली कमेड़ा मोटर मार्ग का कार्य।	4.00	37.44 (₹23.40 + ₹14.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में गैरसैंण–[illegible]पटोटीगैंण–धारगैड–खत्रियाणा–रीठिया मोटर मार्ग का कार्य।	3.00	56.16 (₹17.55 + ₹38.61 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–376/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड–कर्णप्रयाग में नाकोट [illegible]ण्ड से खोला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	45.00 (₹29.25 + ₹15.75 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–376/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड–कर्णप्रयाग में [illegible]प्रयाग–सांकरी–पलेठी–रिठोली मोटर मार्ग का नव [illegible] का कार्य।	6.00	54.00 (₹35.10 + ₹18.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	[illegible] मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–376/2012 के अन्तर्गत [illegible] चमोली के विकासखण्ड–कर्णप्रयाग में किमधार [illegible]–किशनपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण का	7.00	63.00 (₹40.95 + ₹22.05 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	[illegible] हरिद्वार के विकासखण्ड–बहादराबाद में कांगड़ी [illegible] मार्ग पर पडने वाले मुंडाल स्रोत पर [illegible]सी0 पुलिया का निर्माण।	45 mt	4.95	0.10

Photocopy attested